न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा राज
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–48 / 2017 वाद पत्र

उनवान

1. बालु पिता सोहन लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. जगदीश पिता सोहन लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. शान्ति बेवा सोहन लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. नाथु पिता किशोर लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. भगवान पिता नाथू लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. सुरेश पिता नाथू लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. मोहन पिता केला लुहार निवसी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. भैरू पिता मोहन लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. मुकेश पिता भैरू लुहार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. पर्वत सिंह चुण्डावत — **अधिवक्ता वादीगण**
2. हरिश टेलर — **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**
3. जाकिर हुसैन

दिनांक 11.05.2018

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट भीटा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सरेवडी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1484रकबा 0.14 है0, 1485 रकबा 0.02 1486 रकबा 0.02 है0 1487 रकबा 0.31 है0 2153/699 रकबा 0.14 है0 2155/1478 रकबा 0.10 है0, 2157/1483 रकबा 0.11 है0 कुल किता सात कुल रकबा 0.84 है0 स्थित है। ग्राम सेरवडी के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 04 का सामलाती आ चा संख्या 1482 रकबा 0.02 है0 स्थित है। जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी नाथु का 1/2 हिस्सा है जबकि प्रतिवादी मोहन का 1/2 हिस्सा है वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के सामलाती दर्ज थीं, जिसका आपसी सहमति से बंटवारा हुआ उसमें भी वादीगण को धोखे में रख जमीन वादी हिस्से में कम रखी गयी, लेकिन जैसा भी था वादी ने स्वीकार कर लिया लेकिन प्रतिवादीगण परेशान करने लग गये और वादी की आ0 चा0 व खेती की जमीन में गैर कानूनी तरीके से उसके उपयोग में दखल देने लग गये। आ0 चा0 संख्या 1482 पर आने जाने में अडचन पैदा करना चाहते हैं। तथा हमारी आराजीयात में बीचें बीच जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं जो कि गलत है। प्रतिवादीगण को हमारे खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की भूमि में दखलंदाजी करने का नया रास्ता कायम करने का, कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में दखल पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होते हुए भी हमारी गरीब स्थिति व ताकत की कमी को देखते हुए नाजायज तरीके [illegible] दखलंदाजी कर रहे हैं इसलिए उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाया जाना आवश्य हो गया है। दिनांक 20.11.2016 को हमारी आराजियात में कच्चे पत्थरों की दीवार को प्रतिवादीगण उपर से करीब दो फीट तक तोड डाला और इसका ओल्मबा दिया तो सारे परिवार वाले लडाई झग करने पर आमादा हो गये। जिस पर हमने एक रिपोर्ट थाना रायपुर पर जरिये पुलिस उपाधिक्षक महो के गंगापुर भिजवाई लेकिन प्रतिवादीगण के प्रभाव के कारण उस पर कोई प्रभावी कार्यावाही नहीं हु लेकिन डर के कारण हम सहन करते रहे। लेकिन दिनांक 8.06.2017 को फिर प्रतिवादीगण ने ह

उक्त दीवार को करीब दस फीट की चौडाई में गिरा दिया। और वहां से जबरन ट्रेक्टर निकालने का प्रयास किया। जबकि प्रतिवादीगण का हमारी आराजियात में कोई रास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण एलानिया धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें सामलाती कुंए का उपयोग नहीं करने देंगें और तुम्हारी आराजियात में रास्ता बना कर रहेंगें। वादीगण गरीब व असमर्थ लोग होकर प्रतिवादीगण का मौके पर मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाई जाना आवश्यक हो गया है। वादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजियात के खातेदार काश्तकार हें। तथा कलम संख्या दो में अंकित आ0 चा0 के सह काश्तकार हें और इनका उपयोग उपभोग करने का हमें कानूनी अधिकार प्राप्त है। और इसलिए हम दखलंदाजी करने वालों के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी हेतुक दिनांक 20.11. 2016 एवं 08.06.2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। जिससे यह वाद पत्र अंदर अवधि पेश है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 01 एवं 4 की ओर से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन एडवोकेट का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6 की ओर से जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में भी नोटिस जारी किये गए लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 2 एवं 3 उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। लोक अदालत के तहत वादीगण एवं प्रतिवादीगा के अधिवक्ता उपस्थित हुए।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम सरेवडी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1484 रकबा 0.14 है0, 1485 रकबा 0.02 है0 1486 रकबा 0.02 है0 1487 रकबा 0. 31 है0 2153/699 रकबा 0.14 है0 2155/1478 रकबा 0.10 है0, 2157/1483 रकबा 0.11 है0 कुल किता सात कुल रकबा 0.84 है0 स्थित है। ग्राम सेरवडी के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 04 का सामलाती आ. चा. संख्या 1482 रकबा 0.02 है0 स्थित है में वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी आराजी में आवागमन के लिए नहीं रोकेंगें तथा प्रतिवादीगण भी वादीगण को चाह पर जाने से नहीं रोकेंगें तथा वादीगण की फसल को नुकसान नहीं पहुंचायेगें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ। अतः

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सरेवडी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1484 रकबा 0.14 है0, 1485 रकबा 0.02 है0 1486 रकबा 0.02 है0 1487 रकबा 0.31 है0 2153/699 रकबा 0.14 है0 2155/1478 रकबा 0.10 है0, 2157/1483 रकबा 0.11 है0 कुल किता सात कुल रकबा 0.84 है0 स्थित है। ग्राम सेरवडी के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 04 का सामलाती आ. चा. संख्या 1482 रकबा 0.02 है0 स्थित है में वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी आराजी में आवागमन के लिए नहीं रोकेंगें तथा प्रतिवादीगण भी वादीगण को चाह पर जाने से नहीं रोकेंगें तथा वादीगण की फसल को नुकसान नहीं पहुंचायेगें। इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदानुसार डिक्री जारी की जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा